# कार्यालयः अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एफ.टी.सी.), जिला कबीरधाम (कवर्धा) छ0ग0

—:— ज्ञापन —:—

क्रमांक /क्यू/अ.प्र.स.–अ.जि.न्या./2017 कबीरधाम, दिनांक 22.09.2017

प्रति,

जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,
(एन.आई.सी.)
**कबीरधाम (कवर्धा)**

विषय :— **स्टेनोग्राफर (हिन्दी एवं अंग्रेजी), स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड–तीन एवं वाहन चालक के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु जारी विज्ञापन को वेबसाईट में प्रदर्शित करने बाबत्।**

———00———

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि इस जिला स्थापना के स्टेनोग्राफर (हिन्दी एवं अंग्रेजी), स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड–तीन एवं वाहन चालक के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया है।

अतः संलग्न विज्ञापन को प्रचार–प्रसार हेतु जिला कबीरधाम के वेबसाईट में प्रदर्शित करने की शीघ्र व्यवस्था करें।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

22.9.17

(विनीता वार्नर)
अध्यक्ष, प्रशासनिक समिति एवं
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कबीरधाम (कवर्धा)

E:\SHYAMKUR-SS\Netam\Rect-2017\Recruitment-Memo-17-S.doc

# कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम (कवर्धा), छ.ग.

## वि ज्ञा प न

क्रमांक क–1–भर्ती विज्ञापन / अ.प्रशा.समि. / 2017 कबीरधाम, दिनांक 20 सितम्बर 2017

**आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 23 अक्टूबर 2017 संध्या 05:00 बजे तक**

कबीरधाम न्यायिक जिला स्थापना के अंतर्गत रिक्त स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड–03 एवं वाहन चालक के रिक्त पदों की पूर्ति सीधी भर्ती द्वारा की जानी है अतः निम्नांकित पदों पर अर्हता प्राप्त भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों से निर्धारित अहर्ता की शर्तो एवं प्रारुप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

# रिक्त पदों का विवरण

| क्र | रिक्त पद का नाम | रिक्त पदों की संख्या | अनारक्षित | | | | | अन्य पिछड़ा वर्ग | | | | | अनुसुचित जाति | | | | | अनुसूचित जनजाति | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मुक्त | म. | विकलांग | भूतपूर्व सैनिक | योग | मुक्त | म. | विकलांग | भू. सै. | योग | मुक्त | म. | विकलांग | भूतपूर्व सैनिक | योग | मुक्त | म. | विकलांग | भूतपूर्व सैनिक | योग |
| 1 | स्टेनो ग्राफर (अंग्रेजी) | 02 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | स्टेनो ग्राफर (हिन्दी) | 06 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 |
| 3 | स्टेनो टायपिस्ट | 02 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | सहायक ग्रेड–3 (निष्पादन लिपिक 05 पद, साक्ष्य लेखक 03 पद, आदेशिक लेखक 03 पद एवं सेल अमीन 02 पद) | 13 | 3 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 3 | 2 | - | 1 | 6 |
| 5 | वाहन चालक | 01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

(1) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) / स्टेनोग्राफर (हिन्दी) पद के लिए-
अ- वेतनमान वेतन बैण्ड में वेतन 5200-20200 ग्रेड वेतन 2800 (पुनरीक्षित लेवल-7)

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. छ.ग. या म.प्र. शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन व्दारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी/हिन्दी शीघ्रलेखन एवं अंग्रेजी/हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इन्टरनेट का न्युनतम कम्प्यूटर ज्ञान रखता हो।

(2) स्टेनो टायपिस्ट के पद के लिए-
अ- वेतनमान वेतन बैण्ड में वेतन 5200-20200 ग्रेड वेतन 1900 (पुनरीक्षित लेवल-4)

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन व्दारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी शीघ्र लेखन एवं हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इन्टरनेट का न्युनतम कम्प्यूटर ज्ञान रखता हो।

(3) सहायक ग्रेड-तीन के पद के लिए-
अ- वेतनमान वेतन बैण्ड में वेतन 5200-20200 ग्रेड वेतन 1900 (पुनरीक्षित लेवल-4)

ब- शैक्षणिक योग्यता-

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अनारक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2. छ0ग0 या म0प्र0 शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन व्दारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र।

3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) प्रमाण पत्र के साथ एम.एस.वर्ड तथा इन्टरनेट का न्युनतम कम्प्यूटर ज्ञान रखता हो।

(4) वाहन चालक पद के लिए–

**अ– वेतनमान वेतन बैण्ड में वेतन 5200–20200 ग्रेड वेतन 1900 (पुनरीक्षित लेवल–4)**
**ब– शैक्षणिक योग्यता–**

1. किसी मान्यता प्राप्त संस्था/बोर्ड से पूर्व माध्यमिक शाला (कक्षा आठवीं) प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण।
2. हल्का मोटरयान का वैध अनुज्ञप्तिधारी (लाईसेंस) हो।

**महत्वपूर्ण–**

**यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी, कि वे विज्ञापन दिनांक को आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं तथा शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन–पत्र भेजें । परीक्षा में सम्मिलित किए जाने का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि, आवेदक को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जाएगी ।**

**न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के अतिरिक्त, उच्च शैक्षणिक योग्यता होने पर किसी भी अतिरिक्त अंक के लिए पात्र नहीं होगा अथवा वरीयता नहीं दिया जावेगा, इस संबंध में चयन समिति, जिला न्यायाधीश कबीरधाम के अनुमोदन से नियम स्थापित कर सकेगें।**

अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित पद केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित है। मध्यप्रदेश सहित अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे आवेदक जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्य हों, अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए विज्ञापित पद के विरूद्ध ही अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवारों की तुलना में विचारित किए जाएंगे, आरक्षित पद के विरूद्ध नहीं ।

किसी भी प्रवर्ग में महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव के कारण चयन न होने से रिक्त रह जाते हैं तो ऐसे रिक्त पद उसी प्रवर्ग के पुरूष उम्मीदवारों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे ।

## आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें :–

(1) रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)।

(अ) कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

(ब) कोई पुरूष एवं महिला उम्मीद्वार जिसकी क्रमशः एक से अधिक पत्नियां अथवा एक से अधिक पति, जीवित हो, और कोई भी महिला उम्मीद्वार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

(स) ऐस उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरूद्ध किसी अपराध का सिद्व दोष ठहराया गया हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। जिन अभ्यर्थियों के विरूद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो वे आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि, शासकीय नियमानुसार कभी भी उनकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(2) दिनांक 01 जनवरी, 2017 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परन्तु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए।

(3) उच्चतम आयु सीमा में छूटः–

**निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :–**

3 एक (1)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 05 वर्ष तक की छूट दी जाएगी ।

3 एक (2)– यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है, तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ–7–26/93/3–1 आ.प. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक की छूट दी जावेगी।

3 (एक) (3)– ऐसा अभ्यर्थी जो छंटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में उसके द्वारा पहले की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष की कालावधि, भले ही यह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जायेगा, परंतु उसके परिणामस्वरूप अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नही होगी।

<u>स्पष्टीकरणः–</u> छंटनी किए गए शासकीय सेवक, से तात्पर्य है जो इस राज्य की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम 06 माह तक रहा हो तथा जिसे रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक 03 वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया है।

3 (एक) (4)– ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जायेगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक नही होगी।

3 (एक) (5)– महिलाओं के लिए आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिलनीय होगी। जो कि, उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी। विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की अतिरिक्त छूट दी जावेगी। इस अधिकतम आयु सीमा तथा छूट की सीमा को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3 (एक) (6)– सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ–1–2/2002/1/3 दिनांक 02.06.2004 के अनुसार शिक्षाकर्मियों को शासकीय सेवा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष शिक्षाकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा की अवधि एक वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी । जिन वर्गों को पूर्व से ही आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा रहा है, (अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विधवा/परित्यक्ता महिला आदि) वे इस निर्देश से प्रभावित नहीं होंगे ।

3 (एक) (7)– स्वयं सेवी नगर सैनिकों (वालेन्टरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की सेवा की उतनी कालावधि तक छूट 08 वर्ष की सीमा में अध्याधीन रहते हुए दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

3 (दो) (1)– विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन कमांक–सी.3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

3 (दो) (2)– उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक – एफ 6–10/2004/1–9 दिनांक 06.07.2010 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

टीप :– (1) बिंदु कमांक 3 (एक) में अधिक लाभकारी वाली एक ही छूट मिलेगी ।

(2) उपरोक्त 3 में उल्लेखित उच्चतम आयु सीमा में छूट की पात्रता, ततसंबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही होगी।

(3) किसी भी उम्मीद्वार को किसी भी आधार या एक से अधिक आधार पर छूट लाभ दिये जाने के उपरांत पर भी शासकीय सेवा में प्रवेश हेतु अधिकतम आयू सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

उदाहरण :– यदि कोई आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का होने के साथ–साथ ग्रीन कार्डधारी तथा विक्रम पुरस्कार प्राप्त हो, तो उसे अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिकतम आयु सीमा में निर्धारित 05 वर्ष की छूट के साथ प्रोत्साहन वाले अधिक लाभकारी विक्रम पुरस्कार के आधार वाली 05 वर्ष की छूट और दी जाएगी। ग्रीन कार्ड अथवा अर्न्तजातीय विवाह के लिए निर्धारित छूट नहीं दी जाएगी। यदि अनुसूचित

जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक केवल ग्रीनकार्ड धारक हो, उन्हें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट के साथ ग्रीन कार्ड धारकों के लिए 02 वर्ष की और अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ दिया जा सकेगा। अतः विक्रम पुरस्कार अथवा अंतरजातीय विवाह का निर्धारित आयु की छूट नहीं दी जायेगी।

<u>आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की प्रकिया :–</u>

1– आवेदन पत्र इस विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारुप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र **दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 की संध्या 05.00 बजे** तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड–03 एवं वाहन चालक के पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखा हो, कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कबीरधाम, (छ0ग0) के नाम से **रजिस्टर्ड या स्पीड पोस्ट** द्वारा ही प्रस्तुत किये जा सकते है। **दिनांक 23 अक्टूबर, 2017 की संध्या 05.00** बजे के उपरांत प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास एवं रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आदि से संबंधित प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक है।

2– आवेदक यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन करना चाहता हो, तो उसके लिए पृथक–पृथक आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– जन्मतिथि की सत्यता हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण–पत्र अथवा प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक शाला/हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करें।

4– ऐसे अभ्यर्थी जो, शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें अपने नियोक्ता/विभाग प्रमुख को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

5– आवेदन पत्र में आवेदक एक पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो चस्पा करेगा और 02 (दो) अतिरिक्त फोटो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करेगा, जिसके पृष्ठ भाग पर आवेदक स्वंय का नाम अंकित करेगा साथ ही स्वंय का पूर्ण नाम एवं स्पष्ट पता लिखे हुये दो लिफाफा प्रत्येक पर रू. 05/– की डाक टिकट चस्पा करते हुये आवश्यक रूप से संलग्न करें।

6– प्राप्त आवेदन पत्रों के जांच पश्चात् उपयुक्त अभ्यार्थियों को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु पृथक से सूचना दी जावेगी। जिन उपयुक्त आवेदकों को परीक्षा तिथि के पूर्व तक परीक्षा में उपस्थित होने की सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे परीक्षा तिथि को निर्धारित समय के एक घंटा पूर्व अपने आवेदन पत्र जमा करने के प्रमाण पत्र सहित उपस्थित हो सकेंगे, परीक्षण उपरांत उनकी उम्मीदवारी सही पाये जाने पर ही परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जा सकेगी।

## -: चयन प्रकिया :-

1. प्रायोगिक परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर ही प्रावीण्य सूची तैयार कर, प्रवर्गवार सूची तैयार की जाएगी। चयन सूची के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी, जो अधिकतम एक वर्ष के लिए वैध होगी परन्तु ऐसे उम्मीदवार का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक नियुक्तिकर्ता अधिकारी द्वारा ऐसी जॉच के बाद आवश्यक समझी जाये एवं इस बात से भी समाधान न हो जाये कि, उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से योग्य है।

2- समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जाएगी, जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी, उन्हे प्राथमिकता प्रदान दी जाएगी।

3- चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार एवं चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

4- चयनित उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

5- चयनित उम्मीदवार को जिला चिकित्सालय के चिकित्सा मण्डल से स्वास्थ्य फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद ही सेवा में लिया जाएगा, तथा चरित्र सत्यापन कराने पर अथवा पुलिस सत्यापन के पश्चात यदि कोई विपरीत टिप्पणी प्राप्त होती हो तो किसी भी समय सेवा से पृथक किया जा सकेगा। इसी प्रकार आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों के जाति प्रमाणपत्र का सत्यापन छानबीन समिति से कराये जाने पर विपरीत टिप्पणी प्राप्त होने पर सेवा से पृथक किया जा सकेगा।

6- चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

7- चयन प्रक्रिया के संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कबीरधाम का निष्कर्ष अंतिम एवं बन्धनकारी होगा ।

8- चयनित अभ्यार्थियों की नियुक्ति सिविल जिला कबीरधाम के अंतर्गत किसी भी न्यायालय/अनुभाग में की जा सकती है तथा नियुक्ति स्थल पर निवास करना अनिवार्य होगा।

## अपूर्ण तथा त्रुटिपूर्ण जानकारी

प्रत्येक आवेदक को चाहिए कि वह विज्ञापन में दिए गए निर्देशों तथा आवेदन पत्र में वांछित सभी जानकारी देखकर अत्यंत सावधानीपूर्वक सही एवं पूर्ण जानकारी भरे। यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी। त्रुटि तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिए आवेदन पत्र, चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा । प्रायोगिक परीक्षा हेतु आमंत्रित किये जाने मात्र के आधार पर आवेदक नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

## नियुक्ति हेतु चयन विधि

(1) स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी) के पद हेतु :–

प्रायोगिक परीक्षा

उक्त पद हेतु उम्मीद्वार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का अंग्रेजी में श्रुत लेख दिया जावेगा, जिसे 40 मिनट में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा एवं 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में अंग्रेजी कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

**कौशल परीक्षा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार का पहचान चिन्ह पेंसिल से अथवा स्याही से बनाना निषेधित है और ऐसा दर्शित होने पर जॉचकर्ता के द्वारा उक्त पेपर की जॉच नहीं की** जावेगी, टाईपिंग में अशुद्धि होने पर प्रत्येक दस त्रुटि पर एक अंक की कटौती की जावेगी।

प्रायोगिक / कौशल परीक्षा हेतु निम्नानुसार पूर्णांक रहेगें :–

01. डिक्टेशन / श्रुत लेख एवं पश्चात् टाईपिंग :– 50 अंक
02. कम्प्यूटर पर अंग्रेजी टाईपिंग :– 50 अंक

(2) स्टेनोग्राफर (हिन्दी) के पद हेतु :–

प्रायोगिक परीक्षा

उक्त पद हेतु उम्मीद्वार को 100 शब्द प्रतिमिनट की गति से 05 मिनट का हिन्दी में श्रुत लेख दिया जावेगा, जिसे 40 मिनट में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा एवं 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में हिन्दी कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

**कौशल परीक्षा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार का पहचान चिन्ह पेंसिल से अथवा स्याही से बनाना निषेधित है और ऐसा दर्शित होने पर जॉचकर्ता के द्वारा उक्त पेपर की जॉच** नहीं की जावेगी, टाईपिंग में अशुद्धि होने पर प्रत्येक दस त्रुटि पर एक अंक की कटौती की जावेगी।

प्रायोगिक / कौशल परीक्षा हेतु निम्नानुसार पूर्णांक रहेगें :–

01. डिक्टेशन / श्रुत लेख एवं पश्चात टाईपिंग :– 50 अंक
02. कम्प्यूटर पर हिन्दी टाईपिंग :– 50 अंक

(3) सहायक ग्रेड–3 के पद हेतु :–

प्रायोगिक परीक्षा

उक्त पद हेतु उम्मीद्वार को 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में हिन्दी कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

उम्मीद्वार को कम्प्यूटर कौशल परीक्षा में कम्प्यूटर पर हिन्दी/अंग्रेजी में दिये गये विवरण/तालिका/मेटर को हेडिंग, अंडरलाईन, पैराग्राप, टाईपिंग, सेटिंग सहित निर्धारित समयावधि 10 मिनट में शुद्धता से टाईप करना होगा, जिसमें प्रत्येक दस त्रुटि पर एक अंक की कटौती की जावेगी एवं लेख को निर्धारित समय में प्रारूप अनुसार शुद्धता से टाईप करना होगा।

**कौशल परीक्षा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार का पहचान चिन्ह पेंसिल से अथवा स्याही से बनाना निषेधित है और ऐसा दर्शित होने पर जॉचकर्ता के द्वारा उक्त पेपर की जॉच नहीं की जावेगी।**

प्रायोगिक परीक्षा हेतु निम्नानुसार पूर्णांक रहेगें :–

01. कम्प्यूटर में हिन्दी/अंग्रेजी टाईपिंग हेतु :– 50 अंक

**(4) स्टेनो टायपिस्ट के पद हेतु :–**

प्रायोगिक परीक्षा

उक्त पद हेतु उम्मीद्वार को 60 शब्द प्रतिमिनट की गति से 04 मिनट का हिन्दी में श्रुत लेख दिया जावेगा, जिसे 30 मिनट में शुद्धता से कम्प्यूटर में टाईप करना होगा एवं 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट में हिन्दी कम्प्यूटर में टाईप करना होगा।

**कौशल परीक्षा प्रपत्र पर किसी भी प्रकार का पहचान चिन्ह पेंसिल से अथवा स्याही से बनाना निषेधित है और ऐसा दर्शित होने पर जॉचकर्ता के द्वारा उक्त पेपर की जॉच नहीं की जावेगी, टाईपिंग में अशुद्धि होने पर प्रत्येक दस त्रुटि पर एक अंक की कटौती की जावेगी।**

प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु निम्नानुसार पूर्णांक रहेगें :–

01. डिक्टेशन/श्रुत लेख एवं पश्चात टाईपिंग :– 50 अंक
02. कम्प्यूटर पर हिन्दी टाईपिंग :– 50 अंक

(5) वाहन चालक के पद हेतु :–

वाहन चालक के पद पर भर्ती हेतु अभ्यर्थी से वाहन परिचालन का परीक्षण लिया जावेगा।

प्रायोगिक/कौशल परीक्षा हेतु निम्नानुसार पूर्णांक रहेगें :–

01. वाहन परिचालन में :– 50 अंक

यह स्पष्ट किया जाता है कि, अभ्यर्थियों को प्रायोगिक परीक्षा में अनुपस्थित रहने पर आवेदक को चयन के लिए अयोग्य माना जावेगा अर्थात् सभी परीक्षाओं में उम्मीदवारों को सम्मिलित होना अनिवार्य होगा। उपरोक्त परीक्षा में प्राप्त अंको के आधार पर उम्मीद्वार का चयन सूची एवं प्रतिक्षा सूची जारी की जावेगी।

अन्य आवश्यक सूचनाएँ :–

1. जो अभ्यर्थी चयन प्रकिया एवं परीक्षा को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने का प्रयास करेंगे, उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर निरस्त कर दी जाएगी। यदि किसी कारण से अभ्यर्थी को परीक्षा की सूचना विलंब से प्राप्त होती है, तो इसके लिए कार्यालय की जवाबदारी नहीं होगी।
2. न्यायिक जिला स्थापना कबीरधाम में स्टेनोग्राफर (अंग्रेजी), स्टेनोग्राफर (हिन्दी), स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड–03 एवं वाहन चालक के रिक्त पदों के भर्ती किये जाने के संबंध में जारी विज्ञापन वेबसाईट http://ecourts.gov.in/chhattisgarh/kabirdham-kawardha/district-court-kabirdham-kawardha पर भी देखी जा सकती है।
3. अभ्यर्थी को किसी प्रकार की यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
4. उपरोक्त विज्ञाप्ति पद की संख्या परिवर्तनीय होगी, जिसे बढ़ाया/कम किया जा सकता है।
5. चुने गये अभ्यर्थियों की नियुक्ति सिविल जिला कबीरधाम के अन्तर्गत किसी भी न्यायालय अथवा अनुभाग में की जा सकती है।
6. उपरोक्त विज्ञाप्ति पद के संबंध में प्रायोगिक परीक्षा एक पाली में अथवा एक से अधिक पाली में ली जा सकेगी। ऐसे उम्मीदवारों को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक नहीं होगा, जब तक कि, नियुक्तिकर्ता अधिकारी का ऐसी जांच के बाद, जो आवश्यक समझी जाए, इस बात से समाधान न हो जाए कि, उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिए सब प्रकार से योग्य है।
7. चयन उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है, तो की गयी नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी साथ ही संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो आवेदक प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए उपयुक्त पाये जायेगें उन्हें डाक द्वारा प्रवेश पत्र/सूचना पत्र प्रेषित किया जायेगा, परीक्षा तिथि के पूर्व जिन आवेदकों को सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो वे परीक्षा तिथि को निर्धारित समय के एक घंटा पूर्व समस्त दस्तावेजों सहित उपस्थित होकर परीक्षा के लिए उपयुक्त पाये जाने पर ही, निरीक्षण पश्चात प्रवेश पत्र प्राप्त कर सकेगें।

अध्यक्ष
प्रशासनिक समिति
जिला एवं सत्र न्यायालय
जिला-कबीरधाम (कवर्धा)छ०ग०

# आवेदन पत्र का प्रारूप

**(स्टेनोग्राफर, स्टेनो टायपिस्ट, सहायक ग्रेड–तीन एवं वाहन चालक के पदों पर नियुक्ति हेतु)**

प्रति,

**जिला एवं सत्र न्यायाधीश,**
**कबीरधाम (छत्तीसगढ़)**

आवेदक का स्वंय का फोटो चस्पा करें जो स्वप्रमाणित हो।

1. आवेदित पद का नाम ....................................................................
2. आवेदक का पूरा नाम (हिन्दी में) ....................................................................
(अंग्रेजी के ब्लॉक लेटर्स में) ....................................................................
3. पिता/पति का नाम ....................................................................
4. (अ) जन्म तिथि अंकों में दिनांक ................ माह .......... वर्ष ...............
शब्दों में ....................................................................

(ब) दिनांक 01/01/2017 को आयुः– वर्ष .................. माह .................. दिन ..................
5. लिंग– पुरूष, /महिला ....................................................................
6. (अ) पत्र व्यवहार का वर्तमान पता ....................................................................
(हिन्दी में) ....................................................................
....................................................................
(ब) स्थायी पता ....................................................................
....................................................................
....................................................................
7. रोजगार कार्यालय का नाम एवं जीवित पंजीयन क्रमांक दिनांक (सत्यापित प्रति संलग्न करें) ....................................................................

8. क्या अधिकतम आयु सीमा में छूट चाहते है ?
यदि हां, तो किस श्रेणी से उल्लेख करें।
(प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें) ....................................................................
9. क्या आवेदक छ0ग0 का मूल निवासी है? हां/नहीं
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।) ....................................................................

10. क्या आवेदक छ0ग0 शासन द्वारा छ0ग0 के लिये घोषित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का सदस्य है? हां/नहीं ....................................................................
(यदि हां, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्थायी प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
11. क्या आवेदक विकलांग है? हां/नहीं ....................................................................
(यदि हां, तो विकलांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड का प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
12. विकलांगता का प्रकार एवं प्रतिशत ....................................................................
13. क्या आवेदक भूतपूर्व सैनिक है? हां/नहीं ....................................................................
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

14. क्या आप विवाहित हैं? हां/नहीं ........................................

15. यदि विवाहित हैं, तो विवाह की तिथि ........................................

16. जीवित बच्चों की संख्या –

| क्र. | नाम | लिंग | जन्मतिथि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |

17. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता:–

| क्र. | परीक्षा का नाम | उत्तीर्ण होने का वर्ष | बोर्ड/वि.वि. का नाम | संकाय | प्राप्तांक/पूर्णांक | प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |

18 क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में सेवारत है? हां/नहीं ........................................
(यदि हां, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें।)

19. क्या आवेदक/आवेदिका के विरूद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में अनुसंधान/विचारण हेतु लंबित है अथवा किसी न्यायालय में निराकृत हो चुका है? यदि हां, तो संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक एवं निर्णय आदि की जानकारी स्पष्ट रूप से अनिवार्यता उल्लेख करें :– ........................................

20. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :– (स्वप्रमाणित एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित)

1. ........................................
2. ........................................
3. ........................................
4. ........................................
5. ........................................

आवेदक का हस्ताक्षर
(नाम ........................................)

## घोषणा

मै एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीद्वारी/नियुक्ति निरस्त किए जाने योग्य होगी तथा मेरे विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

दिनांक ................

स्थान ................

आवेदक का हस्ताक्षर
(नाम ........................................)